न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 14/2019 (2019/00087)

अनवान : –

1. कैलाशचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवारी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री रतनसिंह धारीवाल प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 15/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम रामसरा के वर्तमान खाता सं 61/56 के खसरा नम्बर 145 की कुल 10.6360 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम कलवन्त पुत्र रामकुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कैलाशचन्द्र की बजाये कलवन्त दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता रामकुमार के कलवन्त नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम कैलाशचन्द्र पुत्र रामकुमार दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत किराड़ाबड़ा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में कैलाशचन्द्र की बजाये कलवन्त दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम कलवन्त के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम कैलाशचन्द्र दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कलवन्त के स्थान पर कैलाशचन्द्र दर्ज होने से प्रार्थी को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि प्राप्त सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम कलवन्त रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा ग्राम रामसरा के वर्तमान खाता सं 61/56 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खसरा नम्बर 145 की कुल 10.6360 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम कैलाशचन्द्र दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार ने जबाबदावा पेश किया तथा तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें नाम संशोधन की अनुशंषा की गई है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा रामसरा के वर्तमान खाता सं 61/56 के खसरा नम्बर 145 की कुल 10.6360 हैक्टेयर मुश्तर्का में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम कैलाशचन्द्र पुत्र रामकुमार के स्थान पर कलवन्त पुत्र रामकुमार दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम कैलाशचन्द्र पुत्र रामकुमार अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा रामसरा के वर्तमान खाता सं 61/56 के खसरा नम्बर 145 की कुल 10.6360 हैक्टेयर मुश्तर्का में प्रार्थी का नाम **''कलवन्त के स्थान पर कैलाशचन्द्र''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए कलवन्त ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
(जयसिंह)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ